

फर्द अहकाम

गणपतिरूप बनाम गौरीलाल

म न्यायालय
स संख्या

57/2022

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/6/24	<p>पत्रालीपेरा डडी गौरीलाल बनाम गणपतिरूप का बचतपत्र अर्थात् गड पत्रालीपेरा बाधेयनिर्णय 8/1/2024 के फर्द से उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>	
	8/7/24	<p>पत्रालीपेरा डडी वकील उमेश प्रसाद पार्थी का प्रारम्भ अस्थायी निपेदाज्ञा को स्वीकारित किया जाना है विस्तृत निर्णय प्रत्येक से किण्ठना जकार सुनाया गया कि प्रत्येक पत्रालीपेरा में शामिल किया गया पत्रालीपेरा नम्बर है कम होकर कद तक की कद तक पत्रालीपेरा (सुनाया गया)</p> <p>उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)</p>	



न्यायालय उपरकण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री हिममत सिंह आर. ए. एस.

प्राचीन पत्र संख्या: 57/2022
प्रतिदिन तिथि : 31/03/2022

भूगवान् सहाय पुत्र भौरीलाल जाति माली निवासी एल. एम. की.
छोटल के पास, लक्ष्मी कॉलोनी, सांगानेर जिला जयपुर (राज) हल
निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर जिला जयपुर (राज)
- प्राचीन

कनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व० श्री भौरीलाल फल्मी रामकरण, जाति माली,
निवासी प्लॉट संख्या 48, पंचवटी कॉलोनी, जगतपुरा जयपुर (राज)
2. गोपाल पुत्र स्व० श्री भौरीलाल
3. छोटीलाल पुत्र स्व० श्री भौरीलाल
जातिमान माली निवासीयान एल. एम. की. छोटल के पास, लक्ष्मी कॉलोनी,
सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज)
4. मुकेश कुमार शेट्ट पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शेट्ट जाति जाजा निवासी
प्लॉट संख्या 147, नामदेव कॉलोनी, वायरलेस ऑफिस के पीछे, तहसील
सांगानेर जिला जयपुर (राज)
5. संतोष देवी फल्मी रामलाल जाति माली निवासी प्लॉट संख्या 18 गोपाल
वाडी प्रथम, वायरलेस ऑफिस के पीछे, सांगानेर तहसील सांगानेर जिला
जयपुर (राज)
6. श्रीमती दमेश फल्मी छोटीलाल जाति माली निवासी गण नं० 44 लक्ष्मी
कॉलोनी, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज)
7. रामकरण पुत्र श्री भौरीलाल जाति माली निवासी प्लॉट संख्या 18,
पंचवटी कॉलोनी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज)
8. सीताराम पुत्र श्री गोपाल खेमी जाति माली निवासी के. एस. कॉलोनी
कृष्णानगर के पास, कल्याणपुरा न्यू सांगानेर रोड तहसील सांगानेर,
जिला जयपुर (राज)
9. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज)
10. उप पंजीयक तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज)
11. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ज़रिफे कमिश्नर पता- जवाहरलाल
नेहरू मार्ग जयपुर (राज)

- अप्राचीन

दावा बाबत धोषणा व दुस्त एवं
स्थायी निषेधाज्ञा राज० काबत० अकि०
x x x x

प्राचीन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
राज० काबत० अधिनियम
x x x

निर्णय

दादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 बाबत धोषणा,
दुरुस्त इत्यादि व स्थायी निषेधाज्ञा राज० काबत० अधिनियम 195 के तहत
- लगातार

उप-खण्ड अधिकारी


दिनांक 08/07/2024

किसे जिसमें प्राचीन पत्र वाक्य अरथायी निवेदन के साथ कि प्रकृत
 ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर में स्थित
 जो कि स्वरा नम्बर 195 रकबा 2 बीघा 10 बिस्का, 196 रकबा 1 बीघा
 197 रकबा 2 बिस्का, 198 रकबा 2 बीघा 11 बिस्का, 198
 199 रकबा 14 बिस्का कुल कित्ता 8 कुल रकबा 17 बीघा 9 बिस्का
 जो कि नाट्या पुत्र (पुत्र) के कब्जे काइत की हुई भूमि थी।
 जो कि नाट्या पुत्र के देहावसान पश्चात् दो पुत्र श्री विष्णु श्री विष्णु
 हिस्सा 1/2 - 1/2 के उत्तराधिकारी के रूप में काबिल काइत रहे।
 आराधीगत के वर्तमान स्वरा नम्बरान 332 रकबा 0.12, 333.
 रकबा 0.05, 334 रकबा 0.05, 335 रकबा 0.05, 336 रकबा 0.03,
 337 रकबा 0.03, 337/792 रकबा 0.22, 338 रकबा 0.22, 361 रकबा
 0.20, 344 रकबा 0.76, 345 रकबा 0.63, 346 रकबा 0.46, 347
 रकबा 0.44, 348 रकबा 0.72 (कुल कित्ता 14 कुल रकबा 3.33 है।
 जो कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है। जिसमें प्राचीन
 के पिता श्री लाल का 1/2 हिस्सा निहित था प्राचीन के पिता श्री लाल
 के अपने जीवनकाल में एक विभाजन पत्र दिनांक 02-04-2001 के
 जिसमें अप्राचीन सं. 2 व 3 की भी सहमति थी अतः विभाजन पत्र
 के आधार पर श्री लाल के हिस्से की आराधीगत में 1/2 हिस्सा में से
 प्राचीन व अप्राचीन सं. 2 व 3 का 1/2 का 1/3 - 1/3 हिस्सा निहित
 होगा। अतः कब्जे के आधार पर प्राचीन व अप्राचीन सं. 2 अपने पिता
 के जीवनकाल से ही काबिल काइत रहे हैं लेकिन अप्राचीन सं. 2 व 3
 के द्वारा अपने पिता को उक्ता कर सारी आराधीगत हड़पने पर
 आमाश हुए तो प्राचीन ने एक नाद घोषणा दस्तावेज श्रीमान
 के न्यायालय के समक्ष दिनांक 29/11/2005 को प्रस्तुत किया।
 श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11/2010 को प्राचीन का नाद
 स्वीकार का विवक्षित आराधीगत में श्री लाल के हिस्से की
 1/3 हिस्से का खानेदार काइतकार घोषित किया गया तथा अप्राचीन
 को ज़रिफे रचयवी फिदौजिया से पावन्द फलाग गमा कि प्राचीन के
 कब्जे काइत में किसी तरह महादमत दालफ अंदाजी नहीं करे।
 अतः नाद संख्या 345/2005 दिनांक 12/11/2010 को निर्गमक डिक्ली
 हुआ जिसकी अपील अप्राचीन द्वारा राफत अफ्फे आशे कारी
 व रेवेन्यू बोर्ड अफ्फे में गयी। अतः नाद सं 345/2005 फिलफ हिके
 12/11/2010 को रिमाण्ड किया गया जो वर्तमान में श्रीमान के न्यायालय
 में विचाराधीन है जिसमें आमाश पेडी दिनांक 11-04-2022 निगत है।
 प्रकृत रिमाण्ड होने के पश्चात् अप्राचीन सं. 1, 2 व 3 ने आमाश
 1 निगम 10 का अफ्फे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके
 स्वीकार किया जाकर अप्राचीन सं. 1 व 4 का 0.8 के पक्षकार
 संभोधित का दिया जो वर्तमान दिने में अप्राचीन प्रतिकारी के
 रूप में पक्षकार है। अप्राचीन प्राचीन के हिस्से की आराधीगत
 पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमाश होते हैं अप्राचीन से
 11 को मिली अतः का फर्जी तरीके से परहे प्राप्त करने पर आमाश है।
 प्राचीन को अपने आराधीगत से अप्राचीन जबरन देना अतः का
 चाहते हैं जिसका अप्राचीन को कोई कायुनन एक उत्तरकार नहीं
 - लगातार

उप-खण्ड अधिकारी,
 जयपुर (दिलीप)

अप्राचीण प्राची के कब्जे आराभीयात पर दिनांक 20/3/2022
 के साथ मौके पर निर्माण कलाश्रम का दिया विशेष कले
 मारपीट पर उताड़ होगी प्राची के हिस्से की आराभीयात को
 पर आमादा हो रहे हैं। इस कारण अप्राचीण को आराभी
 से पाबन्द परमाया जाये कि अप्राचीण स्वयं अथवा
 अन्य से उक्त विकसित आराभीयात में प्राची के हिस्से
 आराभीयात पर बिना विधिवत तकासमा करिये किसी तरह का
 नही करे, निर्माण नही करे, गैर कानूनी रूप से प्लाट
 पट्टे जारी नही करे तथा प्राची को अपने हिस्से की भूमि
 वेदक नही करे तथा मौका व रिकार्ड की भयाहित बनाये
 रखे।

प्राची का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किम जाका अप्राचीण
 को नोटिस जारी कर तणाव किया गया। अप्राचीण हाजि अवलत
 अप्री अप्राचीण की ओर जाया प्रो हुआ जिसका सूक्ष्म इतानो
 इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि अप्राची संख्या 1 ला०३ के फिला
 एतगत वाद में प्रतिकारी सं०) स्व० भौरीलाल व उनके भाई हीट्ट
 के नाम दावा दायरी से पूर्व थी। जिसमे से अप्राची सं० 4 ला०४
 ने दिनांक 22/11/2005 को उक्त प्रार्थना पत्र सम्बन्धित वाद प्रपुत
 होने से पूर्व ही अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा प्राची
 व अप्राची संख्या 1 ला० 3 के फिला स्व० भौरीलाल व उसके भाई
 हीट्ट के मुल्थाइया से कम की गई थी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण
 स्वीकृत होकर अप्राचीण सं० 3 ला०७ के नाम कृष्ण सुहा भूमि अंकित
 रही, जिस पर उक्त केलागण पुल्का वाउडीवाल तामीरात कर उपयोग
 उपभोग करते आ रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक
 है कि उक्त वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही है बल्कि मौके पर अलग-
 अलग भूखण्डों के रूप में विभाजित है जिसमे अलग-अलग भूखण्डों
 पर महान वाउडीवाल बने हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर (लोटिंग की हुई है
 जिसमे भूखण्डधारी काबिल है। उक्त भूमि विवादग्रस्त में दी कृष्णा
 कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना कृष्णा नगर वसी हुई है सम्पूर्ण
 भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि की
 खातेदारी प्रतिकारी सं० 1 व उसके भाई हीट्ट के नाम दर्ज होने का कक्ष
 वादी ने गलत दर्ज किया है दी कृष्णा नगर कोपरेटिव हाउसिंग
 सोसायटी की योजना कृष्णा नगर का नियमन वर्ष 2014 में ही हो
 गया है जिसके भूखण्डधारियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से
 पट्टे प्राप्त कर लिये हैं यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि (खेदारान्
 द्वारा जारी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय की गई भू-खण्डों
 पर आवासीय योजना के एम कॉलोनी के भूखण्ड धारियों ने जयपुर
 विकास प्राधिकरण से अपनी योजना का नियमन करवाकर पट्टे प्राप्त
 कर लिये हैं जो पट्टे उपपंजीयक द्वारा रजिस्टर्ड किये गये हैं जिसमे
 अप्राची सं० 1 ला०३ ने भी पट्टे प्राप्त कर लिये हैं स्वयं प्राची भी
 अपने फिला से प्राप्त दो भू-खण्ड में से एक भूखण्ड में पूर्व से ही
 पुल्का तामीरात अभी वर्तमान में प्राची स्वयं के दूसरे भूखण्ड पर
 - लगातार


 उच्च-खण्ड अधिकारी,
 जयपुर (द्वितीय)

कार्य कर रहा है। तत्कालीन विभाजन पत्र दिनांक 2-4-2001
 द्वारा, छुट्टी, अनरलिस्टेड अनस्थगित व तात्कालिक है। विभाजन कार्रवाई
 के अन्तर्गत नहीं है। दूसरी ओर अतः तत्कालीन विभाजन पत्र प्राचीन
 अप्रार्थी संख्या 1 का 03 के आवासीय भूखण्ड के विभाजन वाक्य
 अतः तत्कालीन विभाजन पत्र से कानूनन प्राचीन या अन्य किसी
 व्यक्ति को अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। प्राचीन का अतः अर्ध
 ने वर्तित कथन को प्राचीन द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय
 द्वारा 12-11-2010 को निर्णय पारित कर डिक्री किया गया जिसके
 सिद्ध अप्रार्थी 1 का 03 के पिता प्रतिकारी सं. 1 श्री लाल तथा
 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपील, अपील न्यायालय द्वारा
 स्वीकार की जाकर प्रकरण अतिरिक्त न्यायालय द्वारा
 25/11/2011 को प्रतिषेधित किया गया कि उभय पक्षों को सुनवाई
 को मौका दिया जाकर पुनः सिद्ध समत निर्णय पारित करें। जिस
 निर्णय दिनांक 12/11/2010 को प्राचीन भगवान सहाय द्वारा माननीय
 राजस्व मण्डल राजपत्र अजमेर के समक द्वितीय अपील द्वारा चुनौती
 दी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 11/3/2011
 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25/11/2011
 को अर्थात् रखा गया। अतः राजस्व मण्डल के निर्णय के सिद्ध
 प्राचीन भगवान सहाय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के
 समक सिविल सीट पीटिशन संख्या 14957/2011 उक्त भगवान सहाय
 बनाम राजस्व मण्डल व अन्य प्रस्तुत काल पर माननीय उच्च न्यायालय
 द्वारा राजस्व मण्डल/राजस्व न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.11.2011
 के अनुसार वाद का निस्तारण काल के आदेश पारित किया गया।
 वाद अर्थात् भूमि के वाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी
 स्वामिनी की आवासीय योजना के एम. कॉम्प्लेक्स का अनुमोदन
 नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20/04/14,
 20/9/2014, 20/12/2016, 29/11/2020 व नगरीय विकास विभाग के
 आदेश दिनांक 20/9/2021 की पालन में जेड एन सी द्वारा दिनांक
 26/11/2021 को किये जाने का निर्णय किया गया। अतः उक्त
 कलयाणपुरा तहसील सांगानेर के एन नम्बर 332, 333,
 334, 335, 336, 337/792, 337, 338 से 347 सम्पूर्ण व
 आंशिक भाग पर के एम. योजना सहित है। जिसका स्वामित्व
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम पर है। अतः योजना
 पर वादी द्वारा पट्टे जारी नहीं किये जाने बाबत आपत्ति की
 गई, जिसमें प्राचीन के पिता व पिता के भाई द्वारा 0.41 हे०
 भूमि को छोड़कर शेष भूमि को दो कृष्ण कॉन्पेरेटिव हाउसिंग
 सोसायटी एवम् निजी स्वामिनी के तौर पर भूखण्डधारियों
 को विक्रय किये जाने के कारण प्राचीन की आपत्ति को खारिज
 किया गया। इस प्रकार निम्न केवल कमेटी (जेड. एन. सी.)
 द्वारा निजी स्वामिनी की योजना के एम कॉम्प्लेक्स के लेआउट
 प्लान का अनुमोदन किया गया तथा भूखण्डधारियों को सीप
 - लगाता


 उप-खण्ड अधिकारी
 जयपुर (निजी)

डीए (पस्टे) जारी करने की जानकारी प्राची को क्लब की रही है, लोक प्राची ने माननीय न्यायालय के समक्ष गणत वचन अंकित करते हुए अप्राचीण, अप्राची संख्या ॥ से पट्टे प्राप्त करते हुए संख्या ॥ को गलत रूप से पश्कार संयोजित किया गया है जनक द्वारा अभी हाल ही में स्वयं को प्राप्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड पर पुल्ता तामोरात की है तथा आज दिनांक को भी प्राची के भूखण्ड विवादित भूमि में स्वयं के भूखण्ड पर पुल्ता तामोरात कर वदानीयत पूर्व सूत्रा शपथपत्र प्रस्तुत का उक्त अस्वायी निषेधाज्ञा का प्राधान्य पत्र प्रस्तुत किया है प्राची का उक्त मस में वादित कि वह कवचन गणत अंकित किया है कि प्राची के हिस्से में फौजे तिन की धा लमीन वारी/प्राची के हिस्से में आती है प्राची की संख्या ॥ जो कि प्राची संख्या ॥ ला०३ के पिता स्व० भौरीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित भूमि में ०-२० हे० भूमि का छोड़कर शेष भूमि का विक्रय जाति इक्करनामा से पुल्ता हाडसिंग सोसायटी को एवं जारी रजि० २३ विक्रयपत्र भूखण्ड धारियों को बेचान का दिया था उक्त बेचान की पुष्टि प्राची/प्राची एवं अप्राची सं० ॥ ला०३ के पिता प्रदीप की संख्या ॥ स्व० भौरीलाल उक्त भौरीलाल के विरुद्ध भौरीलाल के भाई छोड़ू द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या ॥ २००० उक्तानी छोड़ू काल भौरीलाल में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक ॥ २१/२००५ में यह स्पष्ट तथा अंकित किया है कि स्वर्गीय भौरीलाल के स्वतन्त्ररी में २० एयर व छोड़ू को लाने की में २१ एयर भूमि ही बची है शेष भूमि को दोनो पक्षो छोड़ू व भौरीलाल ने पूर्व में ही विक्रय से बेता है। उक्त वाद का निजय दिनांक २४/१०/०५ को भारत हुआ है, इस प्रकार प्राची तथा अप्राची संख्या ॥ ला०३ के पिता प्राची सं० ॥ स्वर्गीय भौरीलाल ने विक्रय के परचात बची २० एयर भूमि का प्राची एवं अप्राची ॥ ला०३ के मध्य आपसी समझौते से अपने जीवनकाल में ही बांट दी गई थी। अप्राची सं० ५ ला०४ द्वारा शेष विक्रयपत्र से कुय को गई भूमि का निज लाने वाली आवासीय योजना के एम कोमोने के भूखण्ड धारियों ने नियमन वरवधर जयपुर विकास प्राधिकरण से पट्टे प्राप्त कर लिये हैं कामूनन मो नोडडी जारी किये जाने के परचात भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राधान्यपत्र अस्वाही निषेधाज्ञा खारिज करमाया जावे।

पञ्जावली का अवलोकन किया गया प्रकाश में वकील अथ पञ्जावली को वदस सुनी गई। वकील प्राची ने अपने वदस में प्राची पत्र में अंकित को दोहराते हुए प्राधन स्वोकार किये जाने हेतु निवेदन - लगातार

उप-खण्ड अधिकारी
राजपुर

कमाल प्रतिकारी/अप्राधी ने अपनी कट्ट में जवाब प्रपत्र में
अनेक तथ्यों को दोहराते हुए प्राची का प्राधना पत्र अन्तर्गत धारा
12 RTI खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।
पत्राकानी, राजस्व रिकार्ड, प्राधना पत्र स्वाधी निपेधारण, जवाब

प्राधना पत्र का आधोपान्त अवगोचर करने व कमीक उभयपक्षों
को बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि
तदनुसार आराजी साबिक खरना नम्बर 195, 196, 197, 198, 188 (कुछ
कितता- 5 कुछ रकबा 17 बीघा 9 विल्वा जिसके हाल खरना नम्बर 332
रकबा 0.12 है, 333 रकबा 0.05 है, 334 रकबा 0.05 है, 335 रकबा
0.05 है, 336 रकबा 0.09 है, 337 रकबा 0.03 है, 337/792
रकबा 0.22 है, 338 रकबा 0.22 है, 341 रकबा 0.02 है, 340/344
रकबा 0.78 है, 345 रकबा 0.63 है, 346 रकबा 0.46 है, 347 रकबा
0.44 है, 348 रकबा 0.72 है) कुछ कितता 14 कुछ रकबा 3.93 है
के ग्राम कल्याणपुर तहसील सांगानेर जिल्ला जयपुर भूमि औरंगा
दरफ औरीलाल तथा होट्ट के नाम दाका दायरी से पूर्व भूमि दर्ज रिकार्ड
अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा प्राची व अप्राधी संख्या
1 ला० 3 के पिता स्वर्गीय औरीलाल व उसके भाई होट्ट के मुख्यास्त्राम
से कय की है। विक्रय पत्र के आधर पर नामान्तरण स्वीकार के
अप्राधी संख्या 4 ला० 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर
केतागण पुला मकान वाडन्डीवाल तामीरात का उपयोग अमत्रोग करते
आ रहे हैं। वर्तमान में मोकें पर अलग-अलग भूखण्डों के रूप में
विभाजित है। जिसमें अलग-अलग भूखण्डों पर मकान वाडन्डीवाल
बने हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर एन्वैटिंग हो चुकी है। जिसमें भूखण्डधारी
काबिज है। अक्त भूमि विनाइग्रा में दी कृष्णा की परेरिव हाउसिंग
सोसायटी योजना कृष्णा नगर भी कसी हुई है, सम्पूर्ण भूमि आवासीय
उपयोग में आ रही है। दी कृष्णा को परेरिव हाउसिंग सोसायटी की
योजना कृष्णा नगर का नियमन वर्ष 2014 में ही हो गया है, जिसके
भूखण्डधारियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से पट्टे का किये हैं
स्वानेकारान् द्वारा जारी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय
की गई भूखण्डों पर आवासीय योजना के एम कॉन्कोमी के भूखण्ड-
धारियों ने जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी योजना का नियमन
करवाकर पट्टे न्डीपडी प्राप्त का किये हैं जो पट्टे अपपीयक
द्वारा रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं। जिसमें अप्राधी सं. 1 ला० 3 ने भी
पट्टे प्राप्त कर किये हैं स्वयं प्राची भी अपने पिता से प्राप्त की
भूखण्डों में से एक भूखण्ड में पूर्व से ही पुला तामीरात का खरा
है तथा वर्तमान में प्राची स्वयं के दूसरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य
कर रहा है। वाडन्डीवाल भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
मिडी (वातेदारी) की आवासीय योजना के एम कॉन्कोमी का
अनुमोदन नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश
दिनांक 20/10/2014, 30/9/24, 31/12/2016, 29/11/20 व नगरीय विकास
विभाग के आदेश दिनांक 20/9/2021 की पालन में जेड एन्ड सी
द्वारा दिनांक 26/11/2021 के निर्देश क्रमां 1254 अक्त ग्राह कल्याणपुर
तहसील सांगानेर के ख० न० 332, 333, 334, 335, 336, 337/792,
- लगातार


उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

337, 338, 344 से 347 सम्पूर्ण व आंशिक भाग पर के.एम. योजना
 दफ्तरी रिकार्ड है इस योजना पर वादी द्वारा पट्टे जारी नहीं किये
 जाने बाबत आपत्ति की गई, जिसे प्रार्थी के पिता व पिता के
 माई द्वारा 0.41 है। भूमि को छोड़कर बंधु भूमि को दी कृष्णा
 कॉन्फेडरेशन हाउसिंग सोसायटी एवम् निजी लातेदारी के लौर पर
 भूखण्डधारियों को विक्रय किये जाने के कारण प्रार्थी की आपत्ति
 को स्वीकार किया गया इस प्रकार जोनल लेवल कमेटी (जेड.एल.सी)
 द्वारा निजी लातेदारी की योजना के एम कॉलोनी के ले-आउट
 प्लान अनुमोदन किया गया तथा भूखण्डधारियों को नजी डीड
 (पट्टे) जारी किये की जानकारी भी प्रार्थी को वसुकी रही है।
 चूंकि वादग्रस्त आराजी एन नं० 332, 333, 334, 335, 336,

337, 337/792, 338, 341, 344, 345, 346, 347, 348 वर्तमान
 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में स्वातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर के नाम दफ्तरी रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी
 हाऊ जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
 के नाम (लातेदारी दफ्तरी) वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि
 उपयोग में नहीं रही है। मौके पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है
 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डधारियों को पट्टे जारी किये
 जा चुके हैं इस प्रकार प्रथम दृष्ट्य केस व सुविधा का संतुलन
 प्रार्थी की अपेक्षा पट्टे शुद्ध कारिज भूखण्डधारियों अप्रार्थी
 के पक्ष में पाये जाते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वायी
 निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है।

मिर्जय आज दिनांक 02/07/2024 को रुकने न्यायालय
 में सरें आम सुनाया गया।

(Handwritten Signature)

उप-खण्ड अधिकारी
 जयपुर (द्वितीय)